IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MISC APPLICATION NO. 38 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO 964 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SYED MOHD RASHID ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, WETLAND AUTHORITY, U.P.	3-7
2.	**ANNEXURE-1** Copy of the Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024 regarding constitution of Village Wetland Committees at Gram Panchayat level with assigned responsibilities.	8-10
3.	**ANNEXURE-2** Summary of roles and functions of the State Wetland Authority (SWA)	11
4.	**ANNEXURE-3** Copy of the said letterdated 02-05-2025.	12
5.	**ANNEXURE-4** Copy of the said letterno. 2401 dated. 13.05.2025.	13-15

THROUGH

Priyanka

Date: 23.06.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MISC APPLICATION NO. 38 of 2025
IN
ORIGINALAPPLICATION NO 964 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SYED MOHD RASHID ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENT

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, WETLAND AUTHORITY, U.P.

MOST RESPECTFULLYSHOWETH:

I, SH. NEERAJ KUMAR aged about 55 year's S/o Sh. Upendra Kumar is presently posted as STATE WETLAND AUTHORITY, LUCKNOW, having an office at LUCKNOW.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying application has been drafted by our counsel upon my instructions
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.
4. That Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed an order dated 07/04/2025 in matter of Misc Application in Disposed of Cases No. 38/2025 In Original Application No. 964/2024, **Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors.** The relative part of the order is as follows: -

"... *5. In view of the deficiencies in the report and considering further orders to be necessary the Registry has listed the matter before the Bench by treating and registering the report received as M.A. No. 38/2025.*

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, N... Mujar ... Das Marg
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg. No. 31(89)09

19 JUN 2025

6. In view of the averments made in the original application and the report submitted, we consider it appropriate to seek response from (i) State of Uttar Pradesh through the District Magistrate, Saharanpur, (ii) State Wetland Authority, Lucknow through its Member Secretary, and (iii) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) who are impleaded as respondents no. 1 to 3.

7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the miscellaneous application and issue notices to respondents no. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within one month.

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt Lucknow R No 31 (89) 99 GOVT OF U.P. INDIA

8. List on 19.05.2025 for further consideration.

5. That in compliance with the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, notified under the Environment (Protection) Act, 1986, the State of Uttar Pradesh has constituted the Uttar Pradesh State Wetland Authority (hereinafter referred to as "the Authority"), which is functioning under the administrative control of the Department of Environment, Government of Uttar Pradesh. The said Authority is chaired by the Hon. Minister (Independent charge), Environment, Forests and Climate Change, Uttar Pradesh and comprises senior officials from departments such as Revenue, Urban Development, Rural Development, Irrigation, Fisheries, tourism and the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in addition to subject matter experts in the fields of ecology and wetland conservation. The Authority has been entrusted with statutory functions including identification and notification of wetlands, preparation and approval of Integrated Wetland Management Plans (IWMPs), and regulation of prohibited activities within notified wetlands as per Rule 4 of the Wetlands Rules, 2017.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
Reg No 31/89/99
19 JUN 2025

6. That on the recommendation of the U.P. State Wetland Authority the State Government issued **Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024**, creating a **Village Wetland Committee for every Gram Panchayat.** Each committee, under the monitoring of the District

Magistrate in his capacity as Chairman, District Wetland Committee, must: (a) conserve wetlands within the Gram Panchayat; (b) draw up plans to enhance ecosystem functions such as water storage, groundwater recharge and flood buffering, and to safeguard recreational and cultural values on the principle of wise use; and (c) mobilise finances by dovetailing such plans into the Gram Panchayat Development Plan (GPDP). Thus, site-specific conservation planning and execution now rest with village-level bodies answerable to the District Magistrate. Copy of the Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024 regarding constitution of Village Wetland Committees at Gram Panchayat level with assigned responsibilities is annexed herewith as **ANNEXURE-1.**

7. That at the State level, the State Wetland Authority (SWA), established under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, is entrusted with framing policy, vetting Brief Documents and Integrated Management Plans (IMPs), monitoring compliance, and facilitating coordination between the districts and the State Government, while the physical execution of pond-restoration activities rests with the competent district agencies. That a concise statement delineating the roles and functions of the SWA is annexed as**ANNEXURE-2.**

8. That, according to the affidavit of DM-Saharanpur, the matter relates to encroachment upon pond land recorded as Khasra No. 271m (area – 0.1020 ha) and Khasra No. 273 (area – 0.1740 ha), Village Tashipur, Pargana Nagal, Tehsil Deoband, District Saharanpur. Vide Letter No. 115/OA-964/2024/SRE dated 02-05-2025 the DM-Saharanpur directed the Tehsildar, Deoband to initiate proceedings under Section 67(1) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006. Copy of the said letterdated 02-05-2025 is annexed as **ANNEXURE 3.**

9. In reply of the above letter, Tehsildar, Tehsil Deoband, District Saharanpur vide letter no. 2401 dated. 13.05.2025 has submitted his reply as below: -

In compliance with the above order of the Hon'ble Tribunal, a joint on-site inspection of Gata No. 271m/0.1020ha NoiyyatJohad and Gata No. 273/0.1740 hectare NoiyyatJohad situated in village

NOTARY GOVT OF U P INDIA
Suresh Kumar Adv & Notary Distt Lucknow
SURESH KUMAR
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg. No. 31/89
19 JUN 2025

TashipurPargana Nagal was done by the team on 13.11.2024. After the on-site inspection, Gata 271m/0.1020ha NoiyyatJohad and Gata No. 273/0.1740ha Noiyyat Johad were found to be in illegal possession of some persons including Imran, Inam and Israr sons of Abdul Hasan. To free the said two Johads from encroachment, 22 cases were filed simultaneously against various persons in the court of Tehsildar Deoband under Section 67 (1) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006. After the suit was filed, the opponents were summoned by issuing notice. After the notice was served, the opponents appeared in the court and the hearing on merits of all the cases began. All the case files are set for the objection/evidence of the opponent. After hearing all the cases, an order will be passed on merits soon."

copy of the letter is annexed as **annexure no.-4.**

10. That in view of the aforesaid facts and circumstances narrated hereinabove it is expedient in the interest of justice that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the instant affidavit of action taken report on record of the instant case. Further submitted that operative portion of order dated 07.04.2025 by Hon'ble tribunal has been complied, thus it is humbly requested to discharge the deponent.

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt Lucknow
R No 31 (89)
GOVT OF U P INDIA

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
117/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg. No. 31(89)09

19 JUN 2025

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this _____ day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom

DEPONENT

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt Lucknow
R No 31 (89) 09
GOVT OF U P INDIA

Solemnly affirmed before me in office today at 1.35pm by Neeraj Kumar who is identified by Shri .... Clerk to Shri .... Self

I have satisfied my self by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read out and explained by me.

19/6/2025

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
617/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwai Ganj, Chowk Lucknow
Reg No. 31(89)09

19 JUN 2025

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
संख्या-1171/ 81-4-2024
लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सहयोग तथा प्रदेश के जनपदों में आर्द्रभूमियों के सर्वे, चिन्ह्नांकन, संरक्षण तथा उन्हें चिरंत उपयोग हेतु बनाये रखने के उद्देश्य से जिला आर्द्रभूमि समिति का गठन किया जा चुका है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने, इनके संरक्षण के प्रति उनमें जिम्मेदारी का अहसास कराने, संरक्षण कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा आर्द्रभूमियों के प्रति उनमें स्वामित्व का बोध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्राम आर्द्रभूमि समिति" के गठन का निर्णय लिया गया है।

1. ग्राम आर्द्रभूमि समिति का गठन-

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक **'ग्राम आर्द्रभूमि समिति'** का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत है:-

1. ग्राम प्रधान-	अध्यक्ष
2. लेखपाल-	सदस्य-सचिव
3. स्थानीय वियालय के नामित प्रधानाध्यापक-	सदस्य
4. स्थानीय स्तर पर ऐसे सक्रिय गैर सरकारी संगठन- (जो आर्द्रभूमि विषयक प्रकरण में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सक्षम हों)	सदस्य
5. ग्राम स्तर पर सक्रिय स्वयं सहायता समूह के 01 नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6. ग्राम सभा द्वारा चयनित / नामित 01 व्यक्ति जो वेटलैण्ड संरक्षण में रूचि रखते हों	सदस्य

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आर्द्रभूमि समिति द्वारा उक्तानुसार समिति का गठन, कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण तथा सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्तानुसार गठित समिति के संचालन हेतु जिला पंचायती राज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्तानुसार सदस्यों को नामित कर जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार गठित समिति की सूचना जनपद के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य-सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति के माध्यम से जिला आर्द्रभूमि समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

NOTARY ★ Suresh Kumar Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No. 31 (89) 09 GOVT OF U.P. INDIA

3. ग्राम आर्द्रभूमि समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर 02 वर्ष का होगा, जिन्हें विधि-विरूद्ध गतिविधियों में शामिल होने पर कभी भी हटाया जा सकेगा।
4. नामित गैर सरकारी सदस्यों को पुनः अधिकतम एक बार और नामित किया जा सकेगा।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आर्द्रभूमि समिति द्वारा उक्तानुसार समिति का गठन एवं कार्य संचालन तथा सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

2. ग्राम आर्द्रभूमि समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

उक्तानुसार गठित ग्राम आर्द्रभूमि समिति के निम्नवत अधिकार एवं कार्य/दायित्व होंगे:-

1-ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना।

2- ग्राम पंचायत स्थित सभी आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना।

3-ग्राम पंचायत स्थित सभी आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जैसे जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़ प्रतिरोधण आदि) और मूल्यों (जैसे सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि) को बनाये रखने या उनमें अभिवृद्धि किये जाने हेतु युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धान्त के आधार पर संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के लिए योजना तैयार करना।

4-आर्द्रभूमियों हेतु तैयार की गयी योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करा कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5. आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

6- प्रतिवर्ष 02 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतो में आर्द्रभूमि सम्बन्धी जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना।

7- आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में हितधारकों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरुकता के सम्वर्द्धन हेतु उपाय करना।

8- ग्राम पंचायत स्थित आर्द्रभूमियों की जैवविविधता को संरक्षित करना।

9- जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

Signed by
Manoj Singh
Date: 10-10-2024 18:41:36

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/राजस्व विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप की प्रति स्वस्तर से समस्त सम्बन्धितों को तत्काल

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt Lucknow
R No 31 (89) 09
GOVT OF U P INDIA

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।
10. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/समस्त बेसिक शिक्षाधिकारी, उ०प्र०।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt Lucknow
R No 31 (89) 09
GOVT OF U P INDIA

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग–4
संख्या–3143 / 14–4–2017–रिट(6) / 2017
लखनऊ, दिनांक 11 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम–2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु–5 के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार "उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) मा0 मंत्री, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 – अध्यक्ष
(ii) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन --उपाध्यक्ष
(iii) सचिव / प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(iv) सचिव / प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(v) सचिव / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(vi) सचिव / प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(vii) सचिव / प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(viii) सचिव / प्रमुख सचिव, मत्स्य उत्पादन विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(ix) सचिव / प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन –पदेन सदस्य
(x) सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन – पदेन सदस्य
(xi) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र, उ0प्र0 – पदेन सदस्य
(xii) सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, उ0प्र0 – पदेन सदस्य
(xiii) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 – पदेन सदस्य
(xiv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 – पदेन सदस्य
(xv) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू–दृश्य योजना और सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक का एक विशेषज्ञ
(xvi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0 –सदस्य सचिव

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या–3143(1) / 14–4–2017 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्राधिकरण के समस्त सदस्य गण।
3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्राधिकरण से संबंधित सभी सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4– गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(डॉ0 दीपक कोहली)
अनु सचिव

NOTARY
Suresh Kumar
Adv.
Distt. Lucknow
GOVT. OF U.P. INDIA

My Doc/Areis/Ua

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-3

70

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक : 115/O.A. 964/2024/SA.E दिनांक: 02/05/2025

तहसीलदार
तहसील देवबंद,
जनपद–सहारनपुर।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण / महत्वपूर्ण

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Misc Application in Disposed of Cases No. 38/2025 In Original Application No. 964/2024, Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors. में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Misc Application in Disposed of Cases No. 38/2025 In Original Application No. 964/2024, Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors. के संबंध में पारित आदेश दिनाक–07.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पारित आदेश दिनांक–07.04.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत है–

"... 5. In view of the deficiencies in the report and considering further orders to be necessary the Registry has listed the matter before the Bench by treating and registering the report received as M.A. No. 38/2025.

6. In view of the averments made in the original application and the report submitted, we consider it appropriate to seek response from (i) State of Uttar Pradesh through the District Magistrate, Saharanpur, (ii) State Wetland Authority, Lucknow through its Member Secretary, and (iii) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) who are impleaded as respondents no. 1 to 3.

7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the miscellaneous application and issue notices to respondents no. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within one month.

8. List on 19.05.2025 for further consideration.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित उक्त आदेश दिनांक–07.04.2025 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम–ताशीपुर, परगना–नागल, तहसील–देबवंद, जनपद–सहारनपुर में स्थित तालाब की भूमि खसरा सं0–271म, रकबा–0.1020 हे0 तथा खसरा सं0–273, रकबा–0.1740 हे0 पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व सहिता–2006 की धारा–67(1) के अन्तर्गत अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये 03 दिन के अन्दर आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। यदि वाद अभी लम्बित है तो उसका शीघ्र निस्तारण भी अपेक्षित है। प्रश्नगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, अतः शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
No. 31 (89) 09
GOVT OF U P INDIA

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर

%c RO.

ANNEXURE-4

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्र कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर पत्रांक 115/A-964/2024/SRE दिनांक 02.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निस्तारित वाद स0 38/2025 मूल प्रार्थना पत्र 964/2024 सैय्यद मौ0 राशिद बनाम स्टैट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 07.04.2025 के क्रम में आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र कमांक 964/2024 सैय्यद मौ0 राशिद बनाम स्टैट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.09.2024 को अंतिम आदेश पारित किया गया। मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम ताशीपुर परगना नागल स्थित गाटा सं0 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड का दिनांक 13.11.2024 को टीम द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त गाटा 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड इमरान, इनाम व इसरार पुत्रगण अब्दुल हसन सहित कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया। उक्त दोनो जोहड को अतिकृमण मुक्त कराये जाने हेतु उ0प्र0रा0स0 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार देवबन्द में विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध 22 वाद एक साथ योजित किये गये। वाद योजित किये जाने के उपरान्त विपक्षीयों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर आये एवं सभी वादो में गुण दोष पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। सभी वाद पत्रावलियां विपक्षी के आपत्ति/साक्ष्य में नियत है। सभी वादो में सुनवाई करते हुए शीघ्र ही गुणदोष पर आदेश पारित किया जायेगा।

आख्या सादर प्रेषित।

फार्म -
2401
13/5/25

08/05/25
तहसीलदार
देवबन्द

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31(89)09
GOVT OF U P INDIA

1730

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश

न्यायालय तहसीलदार , तहसील [illegible] जनपद [illegible]
उपयोगकर्ता Mudit Bhardwal [illegible]

निर्णय प्रति वाद प्रतिवाद न्यायालय आदेश वाद प्रक्रिया अभिलेखागार [illegible]

इश्तेहार प्रिंट:

· दाखिला तिथि. 05/11/2024

कुल प्रविष्टियाँ : 22

1

पुराना वाद सं०	कंप्यूटरीकृत वाद सं०	नियत कार्यवाही	अधिनियम	वादी बनाम प्रतिवादी	दा० तिथि	सुनवाई तिथि	इश्तेहार प्रिंट
5984/2024	T202409600405984	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा शहजाद, शाहनवाज, इखलास	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5985/2024	T202409600405985	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा इरशाद	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5986/2024	T202409600405986	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा अरशद	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5987/2024	T202409600405987	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा इमरान	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5988/2024	T202409600405988	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा सलीम	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5989/2024	T202409600405989	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा मुकर्रम	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5990/2024	T202409600405990	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा दिलशाद	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5991/2024	T202409600405991	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा इमरान, इनाम, इसरार	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5992/2024	T202409600405992	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा सनव्वर	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5993/2024	T202409600405993	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा जहांगीर	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5994/2024	T202409600405994	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा साजिद	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5995/2024	T202409600405995	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा शहजाद, शाहबान,इस्तखार	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5996/2024	T202409600405996	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा मुस्तकीम	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5997/2024	T202409600405997	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा अब्दुल रउफ	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5998/2024	T202409600405998	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा इरफान	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
5999/2024	T202409600405999	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा आदिल	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
6000/2024	T202409600406000	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा अरशद, रियासत	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट

NOTARY Suresh Kumar Adv. & Notary Distt. Lucknow No. 31 (89)/08 GOVT OF U P INDIA

6001/2024	T202409600406001	प्रतीक्षा नोटिरा तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा मुर्तजा	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
6002/2024	T202409600406002	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा श्रीमति जमीला	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
6003/2024	T202409600406003	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा साजि, कामिल, फईम	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
6004/2024	T202409600406004	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा नवाब व आलमगीर	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट
6005/2024	T202409600406005	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा : 67	ग्राम सभा वाजिद	05/11/2024	12/05/2025	इश्तेहार/सार्वजनिक सूचना /प्रिंट

[illegible] न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश
Developed By National Informatics Centre UP State Unit, Lucknow

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No. 31 (89) 09
GOVT OF U.P. INDIA